तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/5690/2010/झालावाड़</u>** **गिरधारी बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>25-3-2025</u>	**<u>एकल–पीठ</u>** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **<u>उपस्थित</u> :–** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक **<u>आदेश</u>** **1–** यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–5–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। **2–** निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ग्राम अकलेरा के खसरा संख्या 339 क्षेत्रफल 7 बीघा से बेदखल करने के लिए तहसीलदार, अकलेरा ने प्रार्थी गिरधारी आत्मज सुख्या के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही शुरू की और अपने निर्णय दिनांक 22.2.2010 द्वारा 147/– रुपए का जुर्माना लगाया तथा 60 दिवस सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 13–4–2010 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–5–2010 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह सशर्त आदेश दिया कि यदि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रार्थी ट्रायल कोर्ट में 20000/–रूपये का स्वयं का मुचलका (बंधपत्र) एवं 10000–10000 रूपये की जमानतें दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रस्तुत करे कि वह वादग्रस्त आराजी पर आगामी 3 वर्ष में कभी कब्जा नहीं करेगा। इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। **3–** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि तहसीलदार अकलेरा ने प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिए बिना सुनवाई का अवसर दिये 147/– रुपए का जुर्माना और साथ ही साठ दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई है, जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/5690/2010/झालावाड़</u>** **गिरधारी बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय को उसकी बेदखली और जुर्माना लगाने तक बरकरार रखने में गलती की है। प्रार्थी विवादित भूमि पर लंबे समय से ही काबिज होकर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के बाद से ही वह इसके नियमितीकरण का हकदार है। विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, कोटा ने अपने एक पूर्व निर्णय दिनांक 17–9–1993 में तहसीलदार को प्रार्थी के पक्ष में नियमितीकरण कार्यवाही शुरू करने तथा उसे विवादित भूमि से बेदखल न करने का निर्देश दिया था। प्रार्थी ने उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा है, जो दिनांक 17–9–1993 के निर्णय के विपरीत है। अधिनियम की धारा 91 में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रावधानों को उस स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है जब कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति भूमि पर कब्ज़ा बनाए रखने के अपने अधिकार के बारे में सद्भावनापूर्ण विवाद उठाता हो। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–5–2010, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2010 तथा तहसीलदार, अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.2010 को निरस्त कर प्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही भी समाप्त की जावे। **5–** विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर पूर्व में बेदखली के बाद भी अतिक्रमण करने की स्थिति में उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। **6–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचारण उपरांत निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सद्भाविक व स्वीकारोचित माना जाकर विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। **7–** प्रकरण में यह निर्विवाद है कि प्रार्थी ग्राम अकलेरा की राजकीय भूमि आराजी नंबर 339 रकबा 7 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी है तथा उसके विरूद्ध पूर्व में भी धारा 91 के तहत नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही हुई थी। इस भूमि पर पुनः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/5690/2010/झालावाड़</u>** **गिरधारी बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिक्रमण कर काश्त करने पर अतिक्रमी के विरूद्ध तहसीलदार अकलेरा द्वारा कार्यवाही कर उसे नोटिस देकर पत्रावली में अतिक्रमी का पक्ष शामिल करते हुये दिनांक 22–02–2010 को आर्थिक दण्ड व धारा 91(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय दिया गया। उक्त आदेश की प्रथम अपील में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ ने तहसीलदार के निर्णय का समुचित विवेचन कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 17–09–1993 को भी अपने निर्णय में विश्लेषित किया था। इस निर्णय के अवलोकन अनुसार हमारा मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह विनिश्चय त्रुटिपूर्ण नहीं था कि अपीलांट अपना पक्ष नियमन कमेटी के समक्ष रख सकता है, लेकिन उसके द्वारा बार–बार राजकीय भूमि पर अतिचार करने स्वरूप वह अपील के माध्यम से राहत पाने का हकदार नहीं है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी को राजकीय चरागाह भूमि पर बेदखली पश्चात भी बार–बार अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए अतिक्रमण हटा लिए जाने स्वरूप उसके विरूद्ध नरम रूप अख्तियार कर सशर्त आदेश जारी किया गया। उपरोक्त सभी निर्णयों में अतिक्रमी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिचार करने स्वरूप विधिक प्रावधानों अनुसार युक्तियुक्त आदेश जारी किए गए हैं जिनमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश होना नहीं पाते हैं। अगर प्रार्थी अपने प्रकरण को नियमन योग्य होना मानता है तो वह इस हेतु नियमानुसार निर्धारित प्रावधानों के तहत नियमन कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन बार–बार इस भूमि पर अतिक्रमण पर उसे इस आधार पर नियमानुसार कार्यवाही से निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है। **8–** अतः विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर द्वितीय अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा प्रकरण में पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	